

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर


क्रमांक एफ.20 (07)/एनएचएम/एचआर/सीएचओ/ 2022/ 2439

दिनांक : 17-10-2022

—:आदेश:—

इस कार्यालय से जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 20 (07)एनएचएम/एचआरडी/सीएचओ/2022/2429 दिनांक 14.10.2022 की क्रियान्विती पर प्रशासनिक कारणों से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(गौरव चतुर्वेदी)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. परियोजना निदेशक एचडब्ल्यूसी, मुख्यालय जयपुर।
4. अनुभागाधिकारी एचआर मुख्यालय जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चि0 एवं स्वा0 समस्त संभाग, राजस्थान।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला लेखा प्रबन्धक, समस्त जिले।
8. आदेश क्रमांक 2429 दिनांक 14.10.2022 में वर्णित कार्मिकों को सूचनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम